27.10.2021 - पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कैम्प-बरना मे रखी गई। वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से जवाब प्राप्त हो चुका है, जो शा०मि० रखे। प्रतिवादी सं० 2 से 5 की ओर से एड. भंवरसिंह शेखावत के द्वारा वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश हो चुका है, जो शा०मि० रखे। कैम्प-बरना मे मजमेआम मे फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर शा०मि० की गई। उपस्थित पक्षो को सुना गया। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बरना मे खसरा नम्बर 396 रकबा 4.05 हे० भूमि वादी की सह-खातेदारी सुदा है। वादी का सही नाम भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह है जो आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाब कार्ड, जन आधार कार्ड, व अन्य सरकारी दस्तावेजात मे दर्ज है। खसरा नम्बर 396 का फौतगी नाम० सं० 682 भरते समय वादी का नाम भारतसिंह के बजाय सुरेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया। भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह नाम व सुरेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह नाम का वादी एक ही व्यक्ति है, दो अलग-अलग व्यक्ति नही है। राजस्व रेकर्ड मे वादी का गलत नाम दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यह वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम सुरेन्द्रसिंह के स्थान पर भारतसिंह दर्ज किया जाता है तो वादी के सह-खातेदारान व अन्य को कोई हानि नही होने वाली है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बरना के ख०नं० 396 रकबा 4.05 हैक्टेयर की खातेदारी मे वादी के गलत नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह के स्थान पर सही नाम भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करवाया जावे।

लगातार

सहायक कलक्टर
एवं पदेन [illegible] अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अनुवान मुकदमा भारतसिंह V/s तहसीलदार डेगाना सं. वर्ष ....21/2021....

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
27.10.21	वादी द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 2 से 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बरना के खसरा नम्बर 396 रकबा 4.05 हैक्टेयर भूमि में सुरेन्द्रसिंह पुत्र भारतसिंह का 1/5 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। खातेदार गुमानसिंह के फौत होने पर नामान्तरण सं० 682 दर्ज किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत बरना द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा अनुसार वादी का नाम सुरेन्द्रसिंह दर्ज किया गया है। ग्राम बरना में पूछताछ करने पर सुरेन्द्रसिंह उर्फ भारतसिंह पि० गुमानसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। कैम्प-बरना में मजमे आम में जानकारी की गई। मजमेआम में उपस्थित मौतबरान ने अवगत कराया है कि सुरेन्द्रसिंह व भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह नाम का एक ही व्यक्ति है। वादी का सही नाम भारतसिंह है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सुरेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह के स्थान पर भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह दर्ज किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपस्थित पंचो को सुना। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी में ग्राम बरना के ख० नं० 396 में सुरेन्द्रसिंह लगातार... सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)	

Scanned by CamScanner

अनुवान मुकदमा | सं. वर्ष 02/202..

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व ता... अहकम जो क...
	पुत्र गुमानसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज है। ~~भूमि~~ जो सुरेन्द्रसिंह को विरासत मे फौतगी नामान्तकरण सं० 682 से प्राप्त हुई है। वादी के भाई व सह-खातेदार प्रतिवादी सं० 2 से 5 ने वादी का वाद स्वीकार कर इकबाली जवाब दावा पेश किया है। वादी प्रस्तुत राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड की ~~[illegible]~~ छांया प्रतियों मे भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह दर्ज है। प्रतिवादीगण के इकबाली जवाब, ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं मजमे आम मे प्राप्त जानकारी के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है। अत: वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बरना के ख० नं० 396 रकबा 4.05 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह उर्फ भारतसिंह पुत्र गुमानसिंह 1/2 हिस्सा घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.10.21 को कैम्प- बरना में मजमे आम मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर ... उपखण्ड अधिकारी ...ाना (नागौर)	